

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 11.09.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामस्वरूप कश्यप पुत्र ब्रह्मादीन नि० पंडितपुरवा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 311/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. शेषनाथ उर्फ पाण्डेय पुत्र शिवचन्दर निशाद नि० बनगांव डीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 259/21 धारा- 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दर्शन लाल पुत्र बच्चू लाल नि० दुल्लापुर हनुमंत नगर थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 236/21, 02. लालू यादव पुत्र रामकेवल नि० बालपुर थाना को०देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 237/21 धारा- 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. शेषराम पुत्र स्वामीनाथ नि० खौदी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 304/21, 02. अनिल मौर्या पुत्र रामनरायन मौर्या नि० परसहना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 305/21, 03. राजेश यादव पुत्र भल्लर यादव नि० मलौनी गौसाई थाना छावनी जनपद बस्ती, 04. सरजू सोनकर पुत्र पितई सोनकर नि० गनेशपुर ग्रन्ट मौजा पुरैना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 2 किलो 800 ग्राम यूरिया, 800 ग्राम नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 306/21 धारा- 272 भादवि० व 60,60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

05. थाना को0नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजू पुत्र राजकुमार नि0 नेपालपुरवा खिराभा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 701/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी भोला नि0 खटकहिया अमवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 274/21 धारा- 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.09.2021

थाना उमरीबेगमगंज द्वारा अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त रोशन लाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रोशन लाल पुत्र लच्छीराम नि0 खड़हरवा मौजा परास मझवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 141/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि0 सतगुरु मिश्रा मय टीमा।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 11.09.2021

01 किलो 250 ग्राम अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 11.09.2021 को थाना कौड़िया के उ०नि० अखिलेश यादव मय टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त इमरान उर्फ मान को गिरफ्तार कर लिया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से 01 किलो 250 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया में एन०डी०पी०एस० एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. इमरान उर्फ मान पुत्र अकरम नि० तुलसीपुर बिरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 177/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 किलो 250 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ०नि० अखिलेश यादव मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 11.09.2021

चोरी की योजना बनाते समय 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी करने के उपकरणों के साथ 01 अवैध तमंचा व 01 चाकू भी बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चोरो/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर राजेन्द्र लाहड़ी स्कूल के पास से चोरी की योजना बनाते हुए 03 अभियुक्तों- 01. प्रदीप दुबे, 02. पवन कुमार गुप्ता, 03. आशीष कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण बरामद किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त पवन कुमार के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस, अभियुक्त प्रदीप दुबे के पास से 01 नाजायज चाकू बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि सभी लोग मिलकर चोरी करने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को0नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. प्रदीप दुबे पुत्र भवानी प्रसाद दुबे नि0 पथवलिया थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
02. पवन कुमार गुप्ता पुत्र जयराम गुप्ता नि0 बुधईपुरवा पूरे शिवाबख्तावर थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
03. आशीष कुमार पाण्डेय पुत्र श्याम जी पाण्डेय नि0 बुधईपुरवा पूरे शिवाबख्तावर थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 703/21, धारा 401 भादवि थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 704/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0- 705/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 01 नाजायज चाकू।
03. चोरी करने के उपकरण।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 गोपाल सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.09.2021

**बलवा व मारपीट करने के 02 वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद अवैध तमंचा
12 बोर मय 01अदद जिन्दा कारतूस -**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मनीहारनपुरवा मोड़ बहद ग्राम भिटौरा के पास से बलवा व मारपीट करने के 02 वांछित अभियुक्तों- 01. आनंद उर्फ बाबू बरुवार, 02. महादेव यादव को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तलाशी अभियुक्त आनंद उर्फ बाबू बरुवार के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. आनंद उर्फ बाबू बरुवार पुत्र रामदीन नि0 अग्निपुरवा मौजा भिटौरा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. महादेव यादव पुत्र लालमून नि0 ग्राम पठान पुरवा भिटौरा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 123/21 धारा- 147,148,323,504,506,308,427,188,34 भादवि0 व 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 273/21 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 रामप्रकाश मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.09.2021

जानलेवा हमला व मारपीट करने के 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने जानलेवा हमला व मारपीट करने के 03 आरोपी अभियुक्तों- 01. आवेश खान, 02. जावेद खान उर्फ सैफी, 03. ताज मोहम्मद को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 10.09.2021 को वादी मो०अजीम पुत्र मो० सलीम नि० पठान टोला थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को एक क्लीनिक के अंदर घुसकर लाठी-डण्डा से मारा-पीटा था तथा वादी के मित्र पर जानलेवा हमला किया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर बेहोश हो गया था। अभियुक्तगण को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. आवेश खान पुत्र मो० उवैद खान नि० निन्दूरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. जावेद खान उर्फ सैफी पुत्र मो० उवैद खान नि० निन्दूरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. ताज मोहम्मद पुत्र अजमल खान नि० सोनबरसा मौजा इब्राहिम पुरि बिल्हौरा थाना कैसरंगज जनपद बहराइचा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 311/21, धारा 147,148,452,323,504,506,307,308 भादवि० थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०- 312/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद तलवार।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

- उ०नि० वसी अहमद मय टीम।